न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/131/2024 रजू दिनांकः 04.10.2024 रजि0 न0 2024/238

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री चन्द्रशेखर शर्मा एडवोकेट, निवासी मौहल्ला चकलागुंदी, मालाखेड़ा बाजार, अलवर, जिला अलवर (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक य0आई0टी/आर.टी.आई./2024/6673 दिनांक 17.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि अपीलार्थी चन्द्रशेखर शर्मा एडवोकेट, निवासी मौहल्ला चकलागुंदी, मालाखेड़ा बाजार, अलवर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन कमांक 3756/12.07.2024 के द्वारा दिनांक 06.08.2024 में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्र कमांक 3476 दिनांक 22.07.2024 से बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादी के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है की प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा ख0नं0 425 वाके ग्राम बल्लाबोडा, अलवर की अवाप्ति की बिन्दुवार सूचना चाही गई है। जिसके अनुक्रम में ही बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना कार्यालय अभिलेख एवं कार्यालय से सबंधित सूचना होने के कारण देयता की श्रेणी में आती है। एवं बिन्दु संख्या 2 काल्पनिक/विशिष्टीयां रहित एवं प्रश्नात्मक प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी के अस्पष्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 12.07.2024 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु संख्या 3 के द्वारा चाही गई वांछित सूचना में आपके कार्यालय अभिलेख/रिकॉर्ड पर संधारित/उपलबध सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)